न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	26.04.2018	05.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री जगदीश प्रसाद धाकड पुत्र श्री मूल चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर गुजरों का खुर्रा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज.
2–मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर गुजरों का खुर्रा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज.
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी जगदीश प्रसाद धाकड़ स्वयं तथा अभिभाषक श्री प्रमोद शर्मा उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 05.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.2018 को दोपहर 12:38 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर गुजरों का खुर्रा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहाँ श्री जगदीश प्रसाद धाकड पुत्र श्री मूल चन्द उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया। खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र के बारे में पूछने पर आवेदक के समक्ष प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर, घी, दाल व तेल विभिन्न ब्राण्ड अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** अलग–अलग सील्ड पैक 455–455 ग्राम की 22 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतल दुकान में रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं। 455–455 ग्राम की 20 मूल सील पैक प्लास्टिक बोतलों में से कुल 4

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सील पैक प्लास्टिक बोतलों 455–455 ग्राम की **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** साफ प्रिन्टेड का चयन किया जिसके बैच अनुपस्थित एवं पैंकिग की दिनांक फरवरी 2018 थी, को ज्यों का त्यों वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** 455–455 ग्रम को, ज्यों का त्यों लेकर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1833 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1833 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री जगदीश प्रसाद धाकड पुत्र श्री मूल चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर गुजरों का खुर्रा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज. से **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** वास्ते विश्लेषणार्थ क्रय किया जब मौके पर अन्य फर्म से क्रय करने का मूल वारंटी बिल मांगा गया तो श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ ने मौके पर बतौर वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने श्री जगदीश प्रसाद धाकड पुत्र श्री मूल चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर गुजरों का खुर्रा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज. द्वारा मौके पर **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)**का वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खाद्य पदार्थ का वारन्टी/खरीद बिल मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/827 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/101/एक्ट/.2018/107 दिनांक 16.03.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की दण्डनीय धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल बनास ब्राण्ड मूल पैक (Refined Soya bean Oil Banas Brand Origional Pack)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद धाकड पुत्र श्री मूल चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.पी. किराणा स्टोर गुजरों का खुर्रा नासिरदा तह. देवली जिला टोंक राज. पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

[illegible]
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0